COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES Rs.10

न्यायालय : राजस्व मण्डल महोदय,ग्वालियार

PBR/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/6233

श्री शिव कुमार पिता श्री राय सिंहमल होतवानी उम्र 59 वर्ष
निवासी शिक्षक कालोनी पिपलियामण्डी .... प्रार्थी

1 मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर मन्दसोर
2 श्रीमति विधा पति पुखराज दशोरा पार्षद्व
वार्ड कमांक 39 निवासी मेधदुत नगर मन्दसौर ....प्रति प्रार्थी

पुननिरिक्षण अण्डर सेक्शन 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व विरूद्व आदेश दिनांक 7-12-2017 (7-12-17)
प्रकरण कमांक 158/अ–121/15–16 न्यायालय कलेक्टर मन्दसोर

महोदय,

प्रार्थी की ओर से अन्य आधार के अतिरिक्त निम्न आधारो पर निगरानी प्रस्तुत है
मन्दसौर नगर मे एक तालाब स्थित है जिसे तेलिया तालाब के नाम से जाना जाता है इस तालाब की एम डब्लु एल की सीमा विवादित रही जिसके लिऐ जनप्रतिनिधीयो द्वारा तत्कालीन कलेक्टर को आवेदन देकर विवाद को हल करने हेतु निवेदन किया

(B. Shukla 22-12-17 (D.K. Shukla) (Advocates))

यह कि तत्कालीन कलेक्टर द्वारा एक कमेठी का गठन किया जिसमे कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अधीक्षक भू–अभिलेख, सचालक नगर तथा ग्राम निवेश, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, राजस्व निरिक्षक तथा पटवारीयो की सयुक्त टीम द्वारा स्थल निरिक्षण किया गया तथा मोके के अनुसार एम डब्लु एल की सीमा का निधारण किया

यह कि तत्कालीन कलेक्टर द्वारा विवादित एम डब्लु एल के सीमांकन के पहले व सीमाकन के बाद भी कराये गये सर्वे के अनुसार तालाब के रकबे मे कोई परिर्वतन नही हुआ तथा एम डब्लु एल सीमा के बाहर के सर्वे कमांक कभी भी एम डब्लु एल की सीमा के अन्दर नही रहे तथा नही इन सर्वे कमाको पर कभी तालाब का पानी भार इन सर्वे कमांक पर हमेशा फसल होती रही तथा नही किसी राजस्व दस्तावेजो मे इन सर्वे कमाको मे तालाब दर्शाया गया

सीमाकंन मे तालाब का वर्तमान क्षैत्रफल 132.790 हेक्टर पाया गया इस प्रकार तालाब के कुल क्षैत्रफल 126.790 हेक्टर से 6 हेक्टर अधिक पाया गया यानी 132.790 हेक्टर खाली भूमि अधिक मोजुद होने पर दिनांक 06.06.2017 को आदेश पारित किया गया करिब 6 माह पश्चात पुन कुछ व्यक्तियो की आपत्ति पर वर्तमान कलेक्टर ने अपने पुर्व कलेक्टर के आदेश दिनांक 06.06.2017 पर रोक लगाते हुऐ पुनः प्रकरण खोल दिया जिसके विरूद्व यह रिवीजन प्रस्तुत की जा रही है

22/12/17
शाखा प्रभारी (रा.म.)
कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

डी के शुक्ला 22-12-17
द्वारा आज प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु 2-1-18 नियत।
...-12-17

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/6233

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-2-19 को आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (42)	